न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
4/2024	9.1.2024	17.2.2025

रामबाबू पुत्र रामखिलाडी, गुर्जर निवासी सालोदा तहसील गंगापुर सिटी –प्रार्थी

बनाम

1. गोविन्द पुत्र रामखिलाडी, गुर्जर निवासी सालोदा तहसील गंगापुर सिटी
2. नेमीचन्द पुत्र रामखिलाडी, गुर्जर निवासी सालोदा तहसील गंगापुर सिटी
3. शांति देवी पत्नी रामखिलाडी, गुर्जर निवासी सालोदा तहसील गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री सन्तोष वर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 610/425 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 611/624 रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 0.23 है0 ग्राम सालोदा तहसील गंगापुर सिटी प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 3 की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 1 ता 3 का 1/4–1/4 हिस्सा राजस्व अभिलेख में अंकित रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 1 ता 3 ने इस भूमि का मौके पर विभाजन किया हुआ है एवं उसी अनुसार प्रार्थी अपने 1/4 हिस्से पर काश्त करता चला आ रहा है। पक्षकारान ने भूमि का मौके पर विभाजन किया हुआ है परन्तु भूमि अभी अभिलेख में सम्मलित दर्ज है इस कारण आये दिन भूमि के सीमा चिन्हों को लेकर पक्षकारो में विवाद होता रहता है। दिनांक 9.7.2023 को अप्रार्थीगणं ने प्रार्थी के हिस्से में आई भूमि में से 30 गुणा 80 फीट भूमि में नींव खोदकर निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया। प्रार्थी ने मौके पर जाकर आपत्ती की तो अप्रार्थीगण ने कहा कि वे जहां चाहें निर्माण करेंगे एवं प्रार्थी को भूमि से बेदखल कर देंगे। इस कारण प्रार्थी को यह टी0आई0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे वाद विभाजन प्रार्थी को भूमि ख0नं0 610/425 रकबा 0.21 है0 एवं ख0नं0 611/624 रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 0.23 है0 ग्राम सालोदा तहसील गंगापुर सिटी में प्राप्त भूमि के उपयोग उपभोग में व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत ना तो स्वयं पैदा करें ना हीं किसी अन्य से करावें, भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें व बिना विभाजन भूमि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:44 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

कोई भूखण्ड का बेचान नहीं करें व मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 4 ने कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 92 ग्राम सालोदा प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि भूमि ख0नं0 610/425 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 611/624 रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 0.23 है0 ग्राम सालोदा तहसील गंगापुर सिटी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। पक्षकारों ने आपसी सहमति से मौके पर उपरोक्त वर्णित भूमि का विभाजन किया हुआ है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थी के हिस्से की भूमि में जबरन निर्माण करना चाह रहे हैं इसके लिए इन्होने प्रार्थी के हिस्से में आई भूमि में जबरन नींव खोदना प्रारम्भ कर दिया एवं प्रार्थी के मना करने पर इन्होने प्रार्थी को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2072–75 ग्राम सालोदा तहसील गंगापुर सिटी के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि पक्षकारों ने भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थी के हिस्से में आई भूमि पर जबरन निर्माण करना चाहते हैं जिसके लिए उन्होने नींव खोदना भी प्रारम्भ कर दिया। चूंकि भूमि अभी अभिलेख में अविभाजित है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाए बिना किसी हिस्से विशेष की भूमि पर निर्माण करने का व किसी हिस्सा विशेष की भूमि का बेचान करने का अधिकार नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

रामबाबू बनाम गोविन्द वगैरा, प्रा0प0 अस्थाई निषेधाज्ञा

(3)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय तक भूमि ख0नं0 610/425 रकबा 0.21 है0 एवं ख0नं0 611/424 रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 0.23 है0 ग्राम सालोदा तहसील गंगापुर सिटी के विभाजन के बिना भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं करें तथा भूमि की मौका व रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:44 IST
Reason: SelfAttested